अध्याय-1: कार्यकारी सारांश

अध्याय–1 : कार्यकारी सारांश

भारत सरकार, योजना आयोग जिला के लिए एकीकृत स्थानीय क्षेत्र विकासार्थ वित्त के अंतरण की जिला–केन्द्रस्थ पहुंच हेतु विशेष महत्व को स्वीकारते रहे हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकार भी जिले के वास्तविक सम्पूर्ण विकास के लिए जिलावार निधियां अंतरित कर रही है। ऐसे जिला उन्नमुख विकास के महत्व को स्वीकारते हुए 2007–12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्यस्थिति व प्रभाव का निर्धारण करने के लिए किन्नौर जिला की जिला–केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा की गई। समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जलापूर्ति से सम्बद्ध मुख्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, सड़कों के सृजन, ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगार सृजन से सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्र के कार्यक्रमों तथा विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, मरुभूमि विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र बजट योजना के अंतर्गत अन्य विकासात्मक कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई–गवर्नेंस तथा कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित सामान्य सेवाएं भी सम्मिलित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में शिक्षा, जलापूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बद्ध सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के कार्यक्रम के कार्यान्वयन से कुछ सकारात्मक मामले सामने आए लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां जिला प्रशासन पिछड़ा था जिसके लिए उनको ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिला योजना समिति तथा जिला योजना

लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जैसा कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन में अधिदेश किया गया है, जिले के विकास के लिए एक सम्मिलित एवं भागीदारी योजना प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु जिले में जुलाई 2012 तक जिला योजना समिति को स्थापित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जिले के विकास के लिए कोई सापेक्ष योजना तथा एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया गया था। फलस्वरूप, स्थानीय जरूरतों की आवश्यकता की पहचान नहीं की जा सकी।

(परिच्छेद 3.1)

सिफारिश

- *वास्तविक सापेक्ष तथा एकीकृत वार्षिक योजनाओं को जिले के अधिक यथार्थिक निर्धारण हेतु खण्डों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचनाओं को प्राप्त करने की निर्मित प्रक्रिया पर आधारित जिले के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जिले द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करना अनिवार्य बनाना चाहिए तथा राज्य सरकार का अनुमोदन लेना चाहिए।*

वित्तीय प्रबन्धन

2007–12 के दौरान जिले में निधियों का कुल प्रवाह तथा किए गए व्यय का ब्यौरा उपायुक्त अथवा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जो मुख्य योजना अधिकारी है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसे अन्य जिला प्राधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कुछ मामलों में प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के मध्य अन्तराल था। भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त निधियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रयुक्त किए बिना विभिन्न

बैंक खातों में अवरोधित की गई थी। कार्यों की प्रगति में विलम्ब के लिए मानव शक्ति प्रतिबन्ध तथा सीमित कार्य अवधि को जिम्मेदार ठहराया गया।

(परिच्छेद 3.2 तथा 3.2.1)

सिफारिश

- *सामान्यत: वित्तीय प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों को प्रभावपूर्णता से प्रयुक्त करने की आवश्यकता है।*

सामाजिक सेवाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

जिला स्वास्थ्य मिशन को सरकार के निम्न स्तरों से सूचनाओं के साथ समस्त मिशन अवधि हेतु सापेक्ष योजना तथा वार्षिक योजनाओं को बनाना अपेक्षित था। जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन जुलाई 2006 में किया गया था लेकिन 2007-12 की अवधि हेतु सापेक्ष योजना को तैयार नहीं किया गया। तथापि, 2010-12 अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य मिशन ने वार्षिक योजनाओं को तैयार किया था। जिला में स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुबन्ध के अनुसार अवसंरचना, उपकरण, मानव शक्ति आदि में रिक्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया को अभी भी किया जाना है। जिले में दो अस्पताल, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31 उप-केन्द्र थे। मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं लेखापरीक्षा के लिए चयनित कई केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कुशल मानव शक्ति की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

वैक्सीन निरोध्य प्रचलित बीमारियां जिले में नगण्य थी क्योंकि 2007-12 के दौरान जिले में प्रसवपूर्व टेटॅनस, डिप्थेरिया तथा कुकुर खांसी जैसी शिशु एवं बच्चों की बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, 2007-12 के दौरान जिले में खसरे के 31 मामले सामने आये। जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2012 तक जांचे गए 5,089 व्यक्तियों में से चार व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव (एक पूर्णत: विकसित मामले सम्मिलित) पाए गए ।

जिले हेतु पृथक लक्ष्यों/ स्वास्थ्य सूचकों को निर्धारित नहीं किया गया था जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित था। इसलिए जिले हेतु निर्णायक स्वास्थ्य सूचकों की प्राप्ति की प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और राज्य स्तर पर सूचित आंकड़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन भी नहीं किया जा सका।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गैर-निर्माण के कारण 2007-11 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में सामुदायिक भागीदारी का लक्ष्य भी अप्राप्य रहा। 2011-12 में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के निर्माण के बाद भी वार्षिक योजना को तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में रिक्तियों की पहचान से अन्तर्ग्रस्त उपयुक्त योजना के अभाव में और स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित सुविधाओं व कुशल मानव शक्ति की अनुपलब्धता से जिले में लोगों को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया।

(परिच्छेद 4.1.1 से 4.1.5.3)

सिफारिशें

- *जुलाई 2006 में गठित जिला स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना सुविधाओं में रिक्तियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण संचालित कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन और जिले के ग्रामीण गरीब को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।*
- *सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के पास कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तथा कुशल मानव शक्ति होनी चाहिए।*

शिक्षा

जिले में, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में शिक्षा की कार्यस्थिति की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की संख्या स्थिर रही किन्तु इन स्कूलों में 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह में बच्चों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई। प्रारम्भिक स्तर पर बहुत से स्कूलों में चारदीवारी और विद्युत सुविधाएं नहीं थी। जिले में उच्च शिक्षा 21 राजकीय उच्च स्कूलों और 27 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के नेटवर्क के माध्यम से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, जिले में एक राजकीय स्नातक महाविद्यालय भी है।

जिले में कक्षा IX से XII में पंजीकरण 2007-08 में 4,273 से 2011-12 में 3,434 तक कम हो गया है। 2007-08 की तुलना में 2008-12 के दौरान कक्षा X की उत्तीर्ण प्रतिशतता में कमी आई थी। तथापि, 2010-12 के दौरान XI और XII के सम्बन्ध में पास प्रतिशतता में सुधार हुआ था।

अवसंरचना सुविधाएं जैसे विज्ञान विषयों के लिए अलग प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय सुविधाएं क्रमश: 23 तथा 46 स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी।

जिले में बहुत से स्कूलों में बुनियादी अवसंरचना/ सुविधाओं का अभाव था तथा 2007-12 के दौरान उप-निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किए जाने वाले स्कूलों के निरीक्षण में 37 *प्रतिशत* की कमी थी।

(परिच्छेद 4.2 से 4.2.2)

सिफारिशें

- *अध्यापन एवं अध्ययनार्थ उपयुक्त वातावरण की सुनिश्चितता हेतु सभी स्कूलों में, विशेषकर प्रारम्भिक स्तर पर मूलभूत अवसंरचना/ सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाना चाहिए। स्कूलों में विद्यार्थियों के पंजीकरण की घटती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।*
- *प्रभावी अनुश्रवण के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित सीमा तक स्कूलों के अनिवार्य निरीक्षणों को करवाया जाता है।*

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

अनुपूरक पोषण के अंतर्गत लाभार्थियों का आवरण निर्धारित लक्ष्यों के निकट था क्योंकि मात्र एक से छ: *प्रतिशत* गर्भवती तथा बच्चों का पालन करने वाली माताएं और एक से दो *प्रतिशत* बच्चे क्रमश: 2007-09 व 2007-10 के दौरान आवृत्त नहीं किए गए थे। तथापि, निजी परिसरों में चलाए जा रहे

46 *प्रतिशत* आंगनबाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं जैसे रसोई, शौचालय, गोदाम आदि का अभाव था क्योंकि 2007-12 के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

(परिच्छेद 4.3 से 4.3.2)

सिफारिश

- *जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूल सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।*

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

2007-08 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समस्त पात्र लाभार्थियों तक विस्तारित कर दिया गया था और उचित पते की अनुपलब्धता के कारण 2008-12 के दौरान मात्र तीन से छ: *प्रतिशत* लाभार्थी आवृत्त नहीं किए गए।

(परिच्छेद 4.4)

सिफारिश

- *जिला कल्याण अधिकारी को छोड़े गए लाभार्थियों के ब्यौरों का सत्यापन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की सहायता से संचालित करना चाहिए ताकि उनमें पेंशन के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।*

जलापूर्ति

मार्च 2012 तक 392 वास-स्थानों में से 93 *प्रतिशत* वास-स्थान पूर्णत: आवृत्त थे और सात *प्रतिशत* वास-स्थान आंशिक रूप से आवृत्त थे। विभागीय स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब हुआ। जिले में लोगों को असुरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही थी क्योंकि अपेक्षित जल नमूना परीक्षणों को करवाकर लाभार्थियों को जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप जिले में जल-जनित रोगों के मामलों की पर्याप्त संख्या देखने में आई।

(परिच्छेद 4.5)

सिफारिश

- *जिला प्रशासन/ विभाग को जल शुद्धिकरण प्रणाली के अधिष्ठापन के माध्यम से लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।*

स्वच्छता एवं मल व्यवस्था

जिले में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। तथापि, जिला मुख्यालय (रिकांगपिओ) में मल व्यवस्था सुविधा है। तहसील मुख्यालय, सांगला में मल व्यवस्था सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अगस्त 2007 में अनुमोदित एक स्कीम उपचार संयंत्र के लिए स्थल के अविकास के कारण जून 2012 तक अपूर्ण रही।

(परिच्छेद 4.6)

सिफारिश

- *राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से तहसील मुख्यालय सांगला में स्वच्छता सुविधाओं को मुहैया करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।*

आर्थिक सेवाएं

अवसंरचना-परिवहन एवं सड़क सम्पर्कता

जिला किन्नौर में कोई हवाई अड्डा और रेल सम्पर्कता नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन रिकांगपिओ (जिला मुख्यालय) से 235 किलोमीटर दूर शिमला में स्थित है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में मार्च 2012 तक 73 *प्रतिशत* गांवों में सड़क सम्पर्कता थी। अत: जिले में 27 *प्रतिशत* गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाया जाना अभी शेष है; वन/ निजी भूमि का अधिग्रहण मुख्य अड़चन है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत 2007-12 के दौरान शुरू किए गए 120 कार्यों में से केवल 28 कार्य (23 *प्रतिशत*) पूर्ण किए गए, 72 कार्य अभी भी प्रगति पर थे तथा 14 कार्य भूमि विवादों, वन अनुमति तथा ठेकेदारों द्वारा कार्य छोड़ने के कारण रुके हुए थे। शेष छ: कार्य मार्च 2012 तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, सड़क की समयबद्ध पूर्णता हेतु भूमि विवादों को सुलझाने के लिए व्यवहार्य तंत्र के अभाव में लोक निर्माण विभाग ने जिले में सभी गांवों को सड़क सम्पर्कता मुहैया करवाने में विलम्ब किया है।

(परिच्छेद 5.1 तथा 5.1.1)

अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए स्कीम

विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और केन्द्र बजट योजना जैसी अन्य विकासात्मक स्कीमों को जिले में समन्वय के बिना शुरू किया गया क्योंकि कार्यों की न तो उपयुक्त रूप से योजना बनाई गई न ही विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया।

(परिच्छेद 5.2.1 से 5.2.6)

सिफारिश

- *राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को कार्यकारी अभिकरणों के साथ व्यापक समन्वय बनाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों के लिए उचित रूप से योजना बनाई गई है तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया गया है।*

रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन ने सभी लाभार्थियों को, जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग की थी, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया था। तथापि, आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित पाक्षिक अवधि के भीतर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 5.3.2)

सिफारिश

- *राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को स्कीम के प्रावधानों के अनुसार समय पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।*

ऊर्जा

जिले में 234 गांवों में से मात्र 10 गांव मार्च 2012 तक विद्युतीकरण के लिए शेष थे।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की संस्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 5.4)

सिफारिश

- *राज्य सरकार को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रवाही बनाना चाहिए कि परियोजना प्रस्तावों को समय पर बनाया जाए तथा भारत सरकार के साथ इन प्रस्तावों को उठाया जाए ताकि विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी विद्युतविहीन घरों/ गांवों के विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जा सके।*

आपदा राहत निधि स्कीम

₹ 5.36 करोड़ से अंर्तग्रस्त 431 मरम्मत व पुन:स्थापन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति उपायुक्त के पास उपलब्ध नहीं थी जो राहत कार्यों के अनुश्रवण की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, जून 2012 तक दो चयनित खण्डों (निचार और पूह) में ₹ 0.41 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद 258 मरम्मत और पुन:स्थापन कार्यों में से 54 अपूर्ण रहे।

(परिच्छेद 5.5)

सिफारिश

- *राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को राहत कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी करने हेतु उपायुक्त कार्यालय में एक अनुश्रवण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को राहत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।*

सामान्य सेवाएं

ई-गवर्नेंस-सुगम केन्द्र

प्रत्येक सुगम केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली कुल 50 सेवाओं में से जिला, उप-मण्डल और तहसील/ उप-तहसील स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाएं क्रमश: 37, 35 और 33 थी जबकि शेष सूचनात्मक सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध थी। किन्नौर जिले में जुलाई 2012 तक तहसील से जिला स्तर पर सुगम केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिए परिकल्पित 33 से 37 मुख्य सेवाओं के प्रति सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सहित मात्र दो से सात मुख्य सेवाओं को ही प्रदान किया जा रहा था।

(परिच्छेद 6.1)

कानून और व्यवस्था

जिला पुलिस मुख्यालयों में अपर्याप्त आवास सुविधाओं और अन्य अवसंरचना देखी गई थी। इसके अतिरिक्त, शस्त्रों की आवश्यकता पूर्णत: पूरी नहीं की गई थी और 7.62 मि0मी0 राइफल्स के मामले में इसमें 98 *प्रतिशत* की कमी थी।

(परिच्छेद 6.2)

सिफारिश

- *पुलिस अधिकारियों को विशेषकर पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को आवश्यक शस्त्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए।*

मानव संसाधन प्रबन्धन, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

मानव शक्ति की कमी आठ से लेकर 51 *प्रतिशत* तक थी, स्वास्थ्य विभाग ने मानव शक्ति की कमी 50 *प्रतिशत* से अधिक थी जिसका जिले में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण औपचारिक था जिससे विभिन्न विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 7.1 से 7.3)

सिफारिश

- *अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को स्थानीय जिला प्रशासन के सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है कि कार्यक्रमों को समय पर तथा लागत के भीतर निष्पादित किया जा सके।*

निष्कर्ष

योजना खण्डों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचना प्राप्त करने की संगठनात्मक प्रक्रिया पर आधारित नहीं थी। कार्यक्रमों तथा स्कीमों की अधिकता है तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या भी अधिकतर है जिससे जिला प्रशासन के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का प्रभावशाली समन्वय करना कठिन होता है। जबकि लगभग सभी विकासात्मक कार्यक्रम एक ही समूह के लाभार्थियों पर लक्षित हैं, एकीकृत केन्द्र बिन्दु के बिना असंख्य कार्यक्रमों की विद्यमानता को उनमें से प्रत्येक को एकमात्र ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में अंतरालो की पहचान के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति थी तथा कुशल मानव शक्ति की कमी के साथ जुड़ी अनुबद्ध सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण जिले के लोगों को प्राप्य एवं वहन योग्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति हुई।

राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों तथा अधिकांश लोगों से सूचनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन, पेयजल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अवसंरचना में रिक्तियों के आकलन द्वारा संतुलित जिला केन्द्रस्थ योजना प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिले के

विकासार्थ ऐसी योजनाओं के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्पष्ट मार्गदर्शक बनाया जाना चाहिए ताकि स्कीम के लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों को समय पर पहुंच सके। जिला में विकास की सीमा को मापने तथा राज्य द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की प्रभावशीलता हेतु जिला विशिष्ट मानव विकास सूचकों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। जिले के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने हेतु लोगों की भागीदारी आवश्यक है।